तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **स्पेशल अपील रेफरेंस/एल0आर0/4410/2005/अलवर** **रामस्वरूप व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे0के0पंत, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री एस0पी0औझा, राजकीय अधिवक्ता।

—

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2025

यह स्पेशल अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत माननीय मण्डल न्यायालय की एकलपीठ द्वारा रेफरेंस संख्या 36/2000/एलआर जिला अलवर बउनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19—05—2005 के विरूद्ध पेश की गई है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि माननीय मण्डल न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय मण्डल न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रार्थी के हक में न्यायालय सहायक कलक्टर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतों का सही रूप से विवेचन करने के पश्चात् निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसे रेफरेंस के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। रेफरेंस प्रकरण में दो प्राइवेट पक्षकारों की जमीन का विवाद है, जो कि स्टेट या पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध नहीं है, इस कारण उक्त रेफरेंस पोषणीय नहीं होते हुए भी माननीय न्यायालय ने उसे स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। माननीय मण्डल न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त प्रकरण डिक्री से संबंधित है तथा किसी न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जाती है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **स्पेशल अपील रेफरेंस/एल0आर0/4410/2005/अलवर** **रामस्वरूप व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तो डिक्री से धारा 42 का वोइलेशन नहीं माना जा सकता है। इस कारण उक्त रेफरेंस माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था। माननीय मण्डल न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील स्वीकार की जाकर माननीय मण्डल न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–05–2005 को निरस्त किया जाकर रेफरेंस को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने स्पेशल अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि माननीय मण्डल न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.05 की सूचना अपीलांट के अधिवक्ता ने उसे पत्राचार से दे दी थी किन्तु उक्त पत्र अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ तथा वह इसी भरोसे में था कि उसका प्रकरण चल रहा है। दिनांक 22.08.05 को गांव में अपीलांट को पटवारी हल्का ने उक्त निर्णय के बारे में बताया तो जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट ने बिना किसी देरी के यह स्पेशल अपील माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है। अतः स्पेशल अपील पेश किए जाने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर स्पेशल अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावें। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि माननीय मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है। सहायक कलक्टर, कठूमर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.96 के द्वारा जो मीनाओं की 1/4 हिस्से की भूमि बाबत् डिक्री ब्राह्मणों के हक में पारित कर दी गई है वह नियम विरूद्ध एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि की स्वर्ण जाति के हक में डिक्री पारित करने से राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लघंन है। जो कि स्टेट पॉलिसी व पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मण्डल न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो उचित निर्णय है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील खारिज की जावें। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **स्पेशल अपील रेफरेंस/एल0आर0/4410/2005/अलवर** **रामस्वरूप व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः स्पेशल अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2052 के अनुसार रामस्वरूप, किशन पुत्र रेवती ब्राहम्ण हिस्सा 3/4 हिस्सा व जगदेव पुत्र जोरया वगै0मीना हिस्सा 1/4 दर्ज थी जिसे सहायक कलेक्टर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 04.11.1996 के द्वारा रामस्वरूप व किशन पुत्रान रेवती ब्राहम्ण के नाम दर्ज की है जो स्पष्टतया धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 के विपरीत है । उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण संख्या 36/2000/एल.आर./अलवर बउनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप व अन्य में मण्डल की विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2005 विधिसम्मत् रूप से पारित किया गया है जो एकलपीठ द्वारा उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात् पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व बहस में दोनों पक्ष उपस्थित थे । अर्थात् अपीलांटस को निर्णय की जानकारी थी । इस प्रकरण में स्पेशल अपील प्रस्तुति की जो अनुमति एकलपीठ द्वारा दी गई है वह खण्डपीठ के समक्ष इस दृष्टि से मायने नहीं रखती है चूंकि कानूनी प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण प्रकरण में किया गया है जिसकी अनुमति विधिनुसार नहीं दी जा सकती है। जैसाकि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42 में निम्न प्रावधान दिए गए है–

धारा 42– विक्रय, दान और वसीयत पर साधारण निर्बन्धन–किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य

होगी, यदि–

1(क) xx विलोपित xx)

(ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो ।

2(ख ख) खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए, सहारिया अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त सहारिया जनजाति का सदस्य न हो, ऐसा विक्रय दान या इच्छापत्र (वसीयत)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधि द्वारा उपबंधित प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण प्रकरण में किया गया है जिसकी अनुमति विधिनुसार नहीं दी जा सकती है ।

परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जाती है ।

निर्णय की प्रति रेफरेंस पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष